

कार्यालय संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) अजमेर संभाग अजमेर
आख्यात्मक आदेश (Speaking Order)

यह है की श्री सांवरिया शर्मा वरिष्ठ अध्यापक ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में एस.बी.सिविल याचिका संख्या :-1738/2022 सांवरिया शर्मा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की जिसका निस्तारण माननीय न्यायालय ने आदेश दिनांक:-1.2.2022 पारित करते हुये Respondents को इस बाबत आदेश दिये की "That the present is ,disposed of with the directions to the petitioner to address a fresh representation before the competent authority pointing out vacant post within a period of two weeks alongwith photostat copy of the earlier representation and certified copy of the order instant.

In case such representation is filed by the petitioner ,the competent authority shall decide the same .In accordance with law ,preferable within a period six weeks from the receipt thereof.

माननीय न्यायालय ने अपने आदेश के अंतिम पैरा की अंतिम लाईन में इस बाबत भी उल्लेख किया है की "The same may not be construed to be an order to decide the representation in a particular manner.

माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की अनुपालना में याचि द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर कार्यवाही करने के लिये सक्षम स्वीकृति के लिये याचि का अभ्यावेदन निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को वास्ते पालना स्वीकृति के लिये प्रेषित किया गया जिस पर निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ने याचि द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का लिनस्तारण करने के लिये पालना स्वीकृति जारी की ।

श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा जारी न्यायालय आदेश की अनुपालना स्वीकृति के क्रम में कार्यवाही करते हुये याचि द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का मेरे द्वारा ध्यान पूर्वक आवलोकन/अध्यन्न किया गया याचि ने अपने अभ्यावेदन में इस बाबत उल्लेख किया है की " मैं सांवरिया शर्मा पद वरिष्ठ अध्यापक विषय संस्कृत पदस्थापन स्थान रामावि अमरतिया (हरडा) भीलवाडा में कार्यरत हूँ । मैने विभाग द्वारा स्थानान्तरण आवेदन मांगे जाने पर रिक्त पद पद आवेदन किया था । लेकिन मैं विशेष श्रेणी (दृष्टिहिन100%) में होने तथा रिक्त पर पर भी स्थानान्तरण नहीं किया गया । याचि ने अपने अभ्यावेदन में रिक्त पद का उल्लेख किया हैं ।

याचि से संबंधित पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का मेरे द्वारा ध्यान पूर्वक आवलोकन/अध्यन्न किया गया याचि ने वर्तमान पदस्थान स्थान को दूरस्थ तथा असुविधाजनक बताते हुये अन्य स्थान पर स्थानान्तरण चाहा हैं । वर्तमान में स्थानान्तरण

पर राज्य सरकार की ओर से बैंन लगा रखा है याचि का यदि वर्तमान में स्थानान्तरण किया जाता है तो यह Fresh Transfer होगा ।

चूकिं वर्तमान में स्थानान्तरण पर राज्य सरकार की ओर से बैंन लगा हुआ है ऐसी स्थिति में प्रशासनिक व व्यवहारिक दृष्टि से याचि का वर्तमान में स्थानान्तरण किया जाना उचित नही होगा । अतः याचि द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को अस्वीकार किया जा कर याचि द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का अंतिम रूप से निस्तारण किया जाता है ।

उक्त अनुसार याचि द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निस्तारण कर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक:- की अनुपालना सूनश्चित की जाती है ।

उभ्य पक्ष सूचित हों ।

संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)

अजमेर संभाग अजमेर

कार्यालय संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) अजमेर संभाग अजमेर

Office contract No-0145-2621991 Email ID-jdeduajmer@gmail.com

क्रमांक:-स.नि/स्कूल शिक्षा/अज/सामान्य-^{सूचना-4}3/फा-306/2022/2099 दिनांक:- 20/04/2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. श्रीमान निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ।
2. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी भीलवाडा ।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक भीलवाडा ।
4. ब्लांक शिक्षा अधिकारी भीलवाडा ।
5. प्रधानाचार्य एवं पी.ई.ई.ओ
6. प्रधानाध्यापक रामावि अमरतिया (हुरडा) भीलवाडा ।
7. श्री सांवरिया शर्मा, वरि.अध्यापक रामावि अमरतिया (हुरडा) भीलवाडा ।
8. सामान्य अनुभाग-3, कार्यालय हाजा ।
9. कार्यालय प्रति ।

संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)

अजमेर संभाग अजमेर